

**बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग**

पत्रांक- 3030-4 (गु.)-2024-04-04/2019 - 2135

/पटना, दिनांक-23/5/2022

प्रपक, संजय दूबे, मजदूर के
विशेष अधिकारी ।

सेवा में, महालेखाकार (लेखा एवं हकदारों)
बिहार, पटना।

विषय- वितीय वर्ष 2022-23 में मांग संख्या-37 अन्तर्गत मुख्य शीर्ष 3054-सड़क तथा
संतु उपमुख्य शीर्ष 04 जिला अन्य सड़कें लघु शीर्ष 105 रख रखाने तथा मरम्मत,
उप शीर्ष 0001 ग्राम सड़क अन्य रख रखाने (विपत्र कोड- 37- 3054-04 -
105 - 0001) व्यय के 0001.27.02 सड़क अनुदान ईकाई मद के अधीन
निम्नलिखित सारणी में अंकित पथ के लिये उनके सामने में अंकित लम्बाई एवं
राशि के लिये प्रशासनिक अनुमोदन प्रदान करने के संबंध में।

महोदय, निदेशानुसार मांग संख्या-37 अन्तर्गत मुख्य शीर्ष 3054-सड़क तथा संतु उपमुख्य
शीर्ष 04 जिला अन्य सड़कें, लघु शीर्ष 105 रख रखाने तथा मरम्मत, उप शीर्ष 0001 ग्राम सड़क
अन्य रख रखाने (विपत्र कोड-37-3054-04-105-0001) व्यय के 0001.27.02 सड़क अनुदान
ईकाई मद के अधीन निम्नलिखित सारणी में अंकित पथों के लिये उनके सामने में अंकित लम्बाई
एवं राशि के लिये पथदार प्रशासनिक अनुमोदन दी जाती है:-

S. No.	Name of Division	Block	Project Id	Name of Road	Length (Mtr. & Ft.)	Cost of Road (Rs. & Paise)	Cost of Road (Rs. & Paise)	Cost of Road (Rs. & Paise)	Cost of Road (Rs. & Paise)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Barh	Barh	1136401/1	From Barh to Dargah Road	1.87	1.28.00	1.28.00	1.28.00	1.28.00
2	Barh	Barh	1136401/2	From Barh to Dargah Road	1.87	1.28.00	1.28.00	1.28.00	1.28.00
3	Barh	Barh	1136401/3	From Barh to Dargah Road	1.87	1.28.00	1.28.00	1.28.00	1.28.00
TOTAL					5.61	3.84.00	3.84.00	3.84.00	3.84.00

2. कार्यपालक अभियंता, कार्य प्रमंडल सोनपुर के अधीन योजनाओं के कार्य सम्पादन हेतु
निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होंगे। नियंत्री एवं व्ययन पदाधिकारी का उत्तरदायित्व
होगा कि कार्यों का विशिष्टताओं/विशिष्ट के अनुरूप कार्यान्वित कराकर एकराश्या
एवं सुसंगत वितीय प्रावधानों के पालन उपरान्त पूर्णतः संतुष्ट होकर ही राशि की
निकासी एवं व्ययन करेंगे। किसी प्रकार की अनियमितता के लिए निकासी एवं व्ययन
पदाधिकारी (कार्यपालक अभियंता) पूर्णतः जिम्मेदार होंगे।

6

23/5/2022

3. "बिहार ग्रामीण पथ अनुरक्षण नीति-2018" के तहत MBD आधारित ई-निविदा से आमंत्रित कार्य की निविदा के निष्पादनोपरान्त निविदा का क्रियान्वयन संबंधित कार्यपालक अभियंता द्वारा कराया जायेगा।
4. इत योजनाओं के चयन के प्रस्ताव पर माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग, पटना का अनुमोदन संचिका संख्या-गु0अ0-4(गु0)-3054-04-94/2019 में दिनांक 28.03.2022 को प्राप्त है।
5. सारणी में अंकित उक्त योजनाओं की प्रशासनिक स्वीकृति के प्रस्ताव पर राक्षम प्राधिकार सचिव महोदय, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना द्वारा दिनांक- 5.5.2022 को संचिका संख्या- गु0अ0-4(गु0)-3054-04-94/2019 में अनुमोदन प्राप्त है।
6. योजनाओं के कार्यान्वयन के पूर्व डी0पी0आर0 पर कार्यपालक अभियंता द्वारा राक्षम प्राधिकार से प्रावैधिक स्वीकृति प्राप्त की जायेगी।
7. योजनाओं की तकनीकी स्वीकृति प्रदान किये जाने के क्रम में प्रावधानित प्रत्येक मद की संभाव्यता की जाँच सक्षम प्राधिकार द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
8. एकरारनामा के पूर्व कार्यपालक अभियंता यह सुनिश्चित कर लेंगे की सूची में वर्णित कोई भी योजना किसी अन्य अनुरक्षण कार्यक्रम से अच्छादित नहीं हो।
9. संबंधित योजनाओं Unsatisfactory / Satisfactory but Requires Improvement कैटेगरी के अन्तर्गत चिन्हित नहीं हो। यदि चिन्हित हो तो निर्धारित प्रक्रियानुसार रुग्नी आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने के उपरान्त ही योजना कार्यान्वित की जाय।
10. बिहार कोषागार संहिता निहित प्रावधानों के आलोक में बजट प्रावधान के अन्तर्गत भिन्नि की उपलब्धता के आधार पर बाडा के निर्धारित प्रावधान/प्रक्रिया के आलोक में राशि की निकारी की जायेगी।
11. वित्त विभाग के संकल्प सं0-3758 दिनांक 31.05.2017 में निहित निदेशों को अक्षरशः पालन किया जायेगा तथा बिहार वित्त नियमावली के सुरांगत प्रावधानों के आलोक में योजना में उपयुक्त राशि की उपलब्धता के आधार पर व्यय की जायेगी।
12. यह राशि उसी मद में खर्च की जायेगी, जिसके लिए पुर्नविनियोजित की गयी है, अन्य मद में नहीं।
13. प्राक्कलन की विशिष्टताओं के अनुसार निर्धारित समयवधि के अन्दर कार्य पूर्ण कराना सुनिश्चित किया जायेगा।
14. संबंधित कार्यपालक अभियंता द्वारा योजनाओं के वित्तीय एवं भौतिक प्रतिवेदन प्रत्येक माह की 5 तारीख तक ऑनलाइन प्रविष्टि कराते हुए अधीक्षण अभियंता एवं मुख्य अभियंता के माध्यम से विभाग को निश्चित रूप से उपलब्ध कराएंगे।

5/5/2022